

प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु (मजमून) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):
 सेवामें श्रीमान कोतवाल साहब थाना तिजारा विषय रिपोर्ट दर्ज करने के क्रम में महोदय निवेदन यह है कि आज दिनांक 25-4-11 को रा.भा.ग 4 बजे सांय मेरा चाचा राज पुत्र हुकम जाति अहीर निवासी तिजारा जो कि सांय 4 बजे बाजार तिजारा से सरसो बेच कर जा रहा था जिसके पास 37000/रु० नगद थे मेरे चाचा ऊंट गाडी से शमशान घाट के पहले से रास्ता रोक कर। मारपीट कि नियत से रामकिशोर पुत्र बलवीर, बलवीर यादव पुत्र रामकिशोर, सुबेसिंह पुत्र रामकिशोर, लूला पुत्र रामकिशोर, मोनू पुत्र सुबेसिंह, हैपी भान्जा सुबेसिंह, सुनिल पुत्र बलवीर, धनपति पत्नी सुबेसिंह, सुशिला पत्नी लूला(शेरसिंह) व रामकिशन सैनी, सुशिला पत्नी रामकिशन सैनी, संजीय सैनी पुत्र रामकिशन व अन्य 10-12 गुण्डे फर्सी लाठी व बन्दूक से हमला किया जिन्होंने मेरे चाचा राज को पैर गोली मारी व लाठी फर्सी से काट डाला उसे मृतक हालत में करके भाग गये। मैं मौके पर पहुंच कर उनको डॉक्टर के पास ले कर गया। जिसको तिजारा डाक्टरों ने राज को अलवर रेफर कर दिया और राज कि हालात गम्भीर है और हमारे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे मौके पर राजेन्दू यादव पुत्र हुकम, नितिन पुत्र रामकुमार, पूनम स्त्री रामकुमार, संजू पुत्र किशनलाल थे अतः शीघ्र कार्यवाही कि जावे। SD नितिन कुमार प्रार्थी नितिन कुमार पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी वार्ड न० 8 कस्बा तिजारा थाना तिजारा जिला अलवर मो० 9785657366 कार्यवाही पुलिस :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मजमून की तहरीरी रिपोर्ट श्री नितिन कुमार पुत्र रामकुमार उम्र 28 साल जाति अहीर निवासी वार्ड न० 8 कस्बा तिजारा थाना तिजारा जिला अलवर ने उपस्थित थाना होकर पेश की मजिद दरियाफ्त पर बताया कि मारपीट से मेरा चाचा राजसिंह के गम्भीर चोटें आई है जिसको इलाज के लिये तिजारा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया परन्तु गम्भीर चोटें लगने से हालत खराब होने पर उसी समय अलवर सरकारी अस्पताल के लिये इलाज हेतु रेफर कर दिया गया मेरा चाचा राजसिंह जैर इलाज अलवर GH में भर्ती है तहरीरी रिपोर्ट को सीधे ही अक्षर शः अक्षर कम्प्यूटर में नकल की जाकर पढकर सुनाई सुन समझ कर सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये मजमून रिपोर्ट व मजिद दरियाफ्त से मामला जुर्म धारा 143, 323, 341 IPC के वकू में आना पाया जाने पर घटना का अभियोग संख्या 190/11 बदफा मजकूर में कायम कर अनुसंधान श्री भगवान सहाय ASI थाना तिजारा के सुपुर्द कर प्रतिया FIR निरामानुसार जारी की गई।

3. की गई कार्यवाही (चूँकि उक्त सूचना द्वारा, मद संख्या 2 पर उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध होने का पता चलता है):

या

(i) मामला रजिस्टर्ड किया गया व अनुसंधान आरम्भ किया गया

या

(ii) श्री/श्रीमति/कुमारी(अनुसंधान अधिकारी का नाम): BHAGWAN SAHAY

पद : ASI

को अनुसंधान आरम्भ करने के निर्देश दिये गये, या

नम्बर : 22232429

(iii) जिन कारणों से अनुसंधान आरम्भ करने से इन्कार किया गया :

या

जिला :

(iv) जाने को केस स्थानान्तरित किया गया(नाम):

क्षेत्राधिकार की दृष्टि से

प्रथम सूचना रिपोर्ट, परिवादी/सूचना देने वाले को पढकर सुनाई गई, जिसने सही लेखन की पुष्टि की और परिवादी/सूचना देने वाले को एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई :

पढकर सुनाया और सही पाया गया :

14.

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
 परिवादी/सूचना देने वाले का :

थाना प्रभारी के हस्ताक्षर

नाम : रोहिताश लाल देवन्दा

पद : CI

नम्बर : 42434445

15. न्यायालय में भेजने की दिनांक व समय :